

कार्यालय—अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

क्रमांक...../गैस.प्लांट/20

सागर दिनांक/ /2020

प्रति,

**Gauri Gases Pvt Ltd,
72, Kailash Residency,
Jhansi,Uttar Pradesh, 284002**

विषय: – Regarding Clarification For supply of liquid oxygen
tender id 2020_DME_109911_2 on Dt 03.11.2020

संदर्भ:— आपका पत्र दिनांक 05.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की निविदा के संबंध में क्लेरीफिकेशन चाहा गया जो निम्नानुसार है:—

1.निविदा के परिशिष्ट 1 के स.क्र. 7 से तात्पर्य लिक्विड ऑक्सीजन मेकर या मेकर के प्राधिकृत डीलर से है न कि कायोजेनिक वैसल टैंक से है। अतः लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट मेकर या मेकर के प्राधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

2.निविदा के परिशिष्ट 1 के स.क्र. 10 से तात्पर्य लिक्विड ऑक्सीजन टैंक की स्थापना एवं सप्लाई का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव से है। लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल ग्रेड की होना अनिवार्य है। इंडस्ट्रियल उपयोग की लिक्विड ऑक्सीजन अमान्य है।

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

क्रमांक...6.1.2.6/गैस.प्लांट/20

सागर दिनांक11./11/2020

प्रतिलिपि:— आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रभारी अधिकारी, गैस प्लांट शाखा, बु.चि.म.सागर।
2. प्रशासकीय अधिकारी, वित्त, बु.चि.म.सागर।
3. प्रभारी अधिकारी आई.टी.शाखा की ओर उक्त क्लेरीफिकेशन, तत्काल महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)